FIROZABAD POLICE
सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा

# प्रेस नोट दिनांक 06-10-2024 थाना शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद ।

## वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद श्री सौरभ दीक्षित के निर्देशन में थाना शिकोहाबाद पुलिस टीम द्वारा दिनांक 05-10-2024 को नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त दीपक वाल्मीकि उर्फ मुल्ला को पुलिस मुठभेड़ के दौरान किया गया गिरफ्तार ।

- **वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद द्वारा घटना स्थल का भौतिक निरीक्षण करते हुए अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु किया गया था 03 पुलिस टीमों का गठन ।**
- **दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त दीपक वाल्मीकि उर्फ मुल्ला के कब्जे से अवैध असलहा, जिंदा कारतूस एवं खोखा कारतूस बरामद ।**

दिनांक 05-10-2024 को एक बच्ची के साथ में एक अज्ञात व्यक्ति ने दुष्कर्म की घटना कारित हुई थी जिसके सफल अनावरण के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निकट पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी शिकोहाबाद के कुशल नेतृत्व में 03 टीमों का गठन किया गया था। सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद अभियुक्त दीपक वाल्मीकि उर्फ मुल्ला पुत्र रमेश निवासी बेकार शखा थाना शिकोहाबाद का नाम प्रकाश में आया जिसकी तलाश की जा रही थी तलाश के दौरान पुलिस टीम को सूचना मिली कि अभियुक्त दीपक वाल्मीकि उर्फ मुल्ला, नगला ऊमर की तरफ से बंबा के किनारे आ रहा है। उक्त सूचना का संज्ञान लेकर पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी कर अभियुक्त को रोकने का प्रयास किया गया तो अभियुक्त ने पुलिस टीम के ऊपर जान से मारने की नीयत से फायर कर भागने लगा। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गयी जबावी फायरिंग में अभियुक्त के दाहिने पैर में गोली लगी है। अभियुक्त के कब्जे से एक तमंचा 315 बोर , एक खोखा कारतूस, दो जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। घायल अभियुक्त को इलाज हेतु सीएचसी शिकोहाबाद भेज दिया गया है। अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। अभियुक्त दीपक वाल्मीकि उर्फ मुल्ला द्वारा वर्ष 2021 में भी एक व्यक्ति के ऊपर चाकू से हमला कर दिया गया था जिसके संबंध में मुकदमा अपराध संख्या 453/ 21धारा 307.323.324.504.506 आईपीसी पंजीकृत किया गया था।

**घटना का विवरणः-** दिनांक 05-10-2024 को थाना शिकोहाबाद क्षेत्रान्तर्गत एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म की सूचना मिली । सूचना पर तत्काल अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण मय क्षेत्राधिकारी शिकोहाबाद व प्रभारी निरीक्षक शिकोहाबाद घटना स्थल पर पहुँचे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद द्वारा घटना स्थल का भौतिक निरीक्षण किया गया साथ ही अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु 03 पुलिस टीमों का गठन किया गया। थाना शिकोहाबाद पुलिस द्वारा प्रकरण में मु0अ0सं0 598/24 धारा 64 बीएनएस0, 5एम/6 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था। आज दिनाँक 06-10-2024 को उक्त प्रकरण में प्रकाश में आये अभियुक्त दीपक वाल्मीकि उर्फ मुल्ला को पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया है।

**आपराधिक इतिहास दीपक उर्फ मुल्ला-**

01-मु0अ0सं0-453/ 21धारा 307.323.324.504.506 भादवि।

02-मु0अ0सं0-598/2024 धारा 64 बीएनएस , 5M/6 पॉक्सो एक्ट।

**नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त-**

1-दीपक उर्फ मुल्ला पुत्र राजेश निवासी वेकार शखा थाना शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद।

**बरामदगी का विवरण-**

1. 01 तमंचा 315 बोर।
2. 01 अदद खोखा कारतूस 315 बोर।
3. 02 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर।

**गिरफ्तार करने वाली टीम-**

1- प्रभारी निरीक्षक श्री प्रदीप कुमार थाना शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद ।

2- उ0नि0 ओमकार सिंह थाना शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद।

3- है0का0 राजकुमार सिंह थाना शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद।

4- का0 अमन कुमार थाना शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद ।